IN THE COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE AND COLLECTOR, JAMUI
FORM OF ORDER SHEET
जमाबंदी सुधार अपील वाद संख्या–06 / 2012
नारायण यादव
बनाम
जागेश्वर यादव वगैरह

Serial no.	Date of order or proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	12.01.2016	आदेश यह वाद नारायण यादव पिता–स्व0 दीपू गोप साकिन–थम्महन थाना–सोनो जिला–जमुई द्वारा लाया गया जिसे अंगीकृत करने के बिन्दु पर सुना गया एवं अंगीकृत किया गया। यह अपील वाद नारायण यादव ने निम्न न्यायालय उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के जमाबंदी सुधार वाद सं0–05 / 2010–11 नारायण यादव बनाम जागेश्वर यादव वगैरह में पारित आदेश दिनांक 10.10. 2012 के विरूद्ध लाया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–महेश्वरी टोला–गढटाँड़ के खाता सं0–117 खेसरा सं0–2316 रकवा–1.02 एकड़ जमीन सर्वे खतियान में लालजीत गोप एवं भागवत गोप पेसरान तिलो गोप के नाम से दर्ज है। दोनों खतियानी रैयत की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अयोध्या एवं दीपू ने सम्पूर्ण जमीन दो बराबर हिस्सों में मौखिक बँटवारा कर लिया जिसमें 1.02 एकड़ जमीन दीपू गोप को हिस्सा में मिला। दीपू गोप का 1.02 एकड़ जमीन पर दखल–कब्जा हुआ और दीपू गोप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र नारायण यादव उक्त 1.02 एकड़ जमीन के दखल में चले आ रहे हैं। प्रश्नगत जमीन सर्वे खतियान में बटाइ नीश्फ दर्ज था जिस कारण जमीन्दार को लगान भुगतान करना पड़ता था इसे नगदी में तब्दील नहीं किया गया। आधी फसल लगान के रूप में भुगतान किया जाता था। नगदी नहीं किये जाने के कारण भूतपूर्व जमीन्दार ने जमीन्दारी समाप्ति के समय बिहार सरकार को रिटर्न समर्पित नहीं किया। बिहार सरकार के सिरिस्ता में अपीलार्थी के नाम से जमाबन्दी कायम नहीं किया गया, परन्तु जमीन्दारी समाप्ति के बाद भी अपीलार्थी का उक्त 1.02 एकड़ जमीन पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा रहा और अबतक अपीलार्थी दखल में चले आ रहे हैं। विपक्षी ने जाली हुकुमनामा के आधार पर प्रश्नगत जमीन का जमाबंदी नं0- 38 खीरू गोप के नाम से कायम करवा लिया। भूतपूर्व जमीन्दार को उक्त रैयती जमीन को बन्दोबस्त करने का अधिकार नहीं था और भूतपूर्व जमीन्दार ने न तो किसी को प्रश्नगत जमीन बन्दोबस्त किया और न प्रश्नगत जमीन का हुकुमनामा किसी को निर्गत किया। विपक्षी का हुकुमनामा जाली है। जमाबन्दी कायम किये	

जाने के समय अंचल कार्यालय द्वारा अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया। प्रश्नगत जमीन पर मरनी ग्वालिन का अधिकार, स्वत्व व दखल नहीं था। मरनी ग्वालिन को प्रश्नगत जमीन की बिक्री करने का अधिकार नहीं था। उक्त जाली हुकुमनामा एवं दिनांक 17.09.63 के जाली केवाला के आधार पर विपक्षी का प्रश्नगत जमीन पर कभी दखल–कब्जा नहीं हुआ। न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, जमुई के वाद सं0– 831 M/90 धारा–144 दं0प्र0सं0 खीरू यादव बनाम नारायण यादव में भी दिनांक 13.12.1990 को अपीलार्थी के पक्ष में एवं विपक्षियों के पिता के खिलाफ आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत जमीन कभी नीलाम नहीं हुई। विपक्षी के द्वारा Rent Suit या Auction Purchase के संबंध में कोई दस्तावेज निम्न न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया। इसके बाद भी उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा विपक्षी के मेल में आकर अपीलार्थी के दस्तावेजों पर बिना कोई विचार किये अपीलार्थी नारायण यादव के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। अतः जमाबंदी सुधार वाद सं0–5/2010–11 में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई का आदेश दिनांक 10.10.2012 गलत है इसे निरस्त किया जाय और अवैध तरीके से विपक्षी के नाम से कायम की गई जमाबंदी सं0–38 को विलोपित कर अपीलार्थी का नाम दर्ज करते हुए जमाबंदी सुधार किया जाय।

2. विपक्षी अनुपस्थित हैं। विपक्षी ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.2015 के बावजूद भी कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया। अपीलार्थी के अनुरोध पर एक पक्षीय सुनवाई की गयी।

3. अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न दस्तावेज दाखिल किया गया:–

1. मौजा–महेश्वरी के खाता सं0–117 के खतियान के नकल की छायाप्रति।

2. न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, जमुई के वाद सं0–831 एम/90 धारा–144 दं0प्र0सं0 खीरू यादव बनाम नारायण यादव में पारित आदेश दिनांक 13.12.1990 के नकल की छायाप्रति।

4. अपीलार्थी ने अपने अपील में खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अपने दखल कब्जे का दावा करते हैं व यह भी कहते हैं कि मरनी ग्वालिन को प्रश्नगत भूमि पर कोई भी अधिकार, स्वत्व व दखल नहीं था। इस प्रकार अपीलार्थी के अपील आवेदन से ही स्पष्ट है कि वाद में स्वत्व के प्रश्न निहित हैं। वहीं अपील आवेदन में अनुतोष के रूप में निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी अपने नाम से करने की मांग करते हैं।

निम्न न्यायालय के अभिलेख पर संलग्न आवेदक जो इस अपील में भी आवेदक हैं के आवेदन का अवलोकन किया। इस आवेदन में उन्होंने अनुतोष के रूप में जमाबंदी सं0–38 को रद्द करने का अनुरोध किया है व उनके आवेदन में अंकित विवरणी से भी स्पष्ट है कि इस वाद में स्वत्व के प्रश्न निहित हैं। वहीं यह भी स्पष्ट है कि

जिस अनुतोष की मांग (जमाबंदी रद्द करने की) उन्होंने निम्न न्यायालय से की है वह शक्ति निम्न न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

उपरोक्त के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। आवेदक जमाबंदी सं0–38 को रद्द कराना चाह रहे हैं जिसके लिये उन्हें स्वत्व वाद लाना उचित होगा। इस प्रकार आवेदक के अपील को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें। L.C.R. निम्न न्यायालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहर्त्ता,
जमुई।